उद्धरण खतौनी NZA ग्राम - [illegible]

ग्राम [illegible] पट्टी [illegible], कु0का0 क्षेत्र [illegible], तहसील [illegible] जिला [illegible] फसली वर्ष

खाता सं.	नाम खातेदार पिता/पति का नाम	मुद्दत काश्त	खेत नम्बर	रकबा	लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आदेश
	[illegible]					
30	[illegible]		22 24 1799 2174/3497 2949/3459	0.015 0.003 7.355 4.329 0.014		
		योग:-	329	76.110 -		

[illegible]

असल ग्राम [illegible] परगना [illegible] तहसील [illegible] जिला [illegible] बाबत साल सन १४ [illegible]

1799	7.355	30	[illegible]	✓	–	–	–	–	–	–	–	
2174/3447	4.329	30	[illegible]	✓	–	–	–	–	–	–	93(5) [illegible]	9.2.31 [illegible]

नोट: [illegible]

राजस्व उपनिरीक्षक
तहसील [illegible]

6545

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल।

1524 / 12–ज्येड0ए0सी0 / 2016, दिनॉक 16 सितम्बर 2016,

विषय:– जनपद नैनीताल में सतोली–कफुड़ा व जिनौनी–तडी–सकदीना मोटर मार्ग के निर्माण के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण विषयक।

उप जिलाधिकारी
धारी।

उपरोक्त विषयक अपने पत्र सॅख्या 684 / अहलमद दिनॉक 12 सितम्बर 2016 का अवलोकन करने का कष्ट करे। जिसके द्वारा आपने जनपद नैनीताल में सतोली–कफुड़ा व जिनौनी–तडी–सकदीना मोटर मार्ग के निर्माण के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण किये जाने हेतु ग्राम पुटगॉव पट्टी च्यूरीगाड मे नौन0ज्येड0ए0 खाता न0–30 के खसरा न0 1799 मध्ये व 2174 / 3447 मध्ये 9.231 है0 भूमि चयनित की गयी है।उक्त चयनित भूमि नौन0ज्येड0ए0खतौनी के श्रेणी 9(3)ड़ में राज्य सरकार के नाम दर्ज होने के सम्बन्ध में स्थिति से अवगत कराया है।

आपके द्वारा प्रेषित पत्र के कम में अवगत कराना है कि उक्त आख्या के साथ सयुॅक्त निरीक्षण आख्या सलंग्न न होने के कारण प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही नही की जा सकी है। हेतु सम्बन्धित विभाग / याचक विभाग / वन विभाग के अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करते हुए सयुॅक्त निरीक्षण आख्या प्रेषित करने का कष्ट करे। तदोपरान्त ही वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

सलंग्नः–उपरोक्तानुसार

16/09

अपर जिलाधिकारी,
नैनताल।

पत्रॉक व दिनॉक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग नैनीताल को उनके पत्र सॅख्या 1729 / 18 एम0जी0 दिनॉक 22–7–2016 के कम में इस आशय के साथ प्रेषित की उप जिलाधिकारी धारी से सम्पर्क करते हुए सयुॅक्त निरीक्षण करवाते हुए आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करवाने का कष्ट करे। तदोपरान्त ही वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सकेगी।

अपर जिलाधिकारी,
नैनताल।

Ahalmad
कृ0 संयुक्त निरीक्षण आख्या प्रस्तुत करें।
SDM Dhari
22/09/2016

कार्यालय उपजिलाधिकारी धारी जिला–नैनीताल।

पत्रांक – 6-84 / अहलमद – क्ष0पू0वृ0 भूमि चयन / 2016 दिनांक : –12 सितम्बर 2016

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

विषय– **जनपद नैनीताल में सतोली–कफुड़ा व जिनौली–तड़ी–सकदीना मोटर मार्ग के निर्माण के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण विषयक।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग नैनीताल के कार्यालय पत्र संख्या 1729 / 18 एम0जी0 दिनांक 22.07.2016 तत्पश्चात अपने कार्यालय पृष्ठांकन आदेश संख्या आर– 1802 / 12 ज्येड0ए0सी0 / दिनांक 22.08.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि जनपद नैनीताल में सतोली–कफुड़ा मोटर मार्ग हेतु 5.976है0 व जिनौली–तड़ी–सकदीना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.255है0 कुल 9.231है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए उपलब्ध कराये जाने के संबन्ध में तहसीलदार धारी से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार धारी द्वारा अपने पत्र संख्या 260 / र0का0 / 2016 दिनांक 10.09.2016 से अवगत कराया गया है कि प्रकरण में ग्राम पुटगांव पट्टी च्यूरीगाड के नोन0ज्येड0ए0 खाता नं0– 30 के खसरा नं0 1799 मध्ये व 2174 / 3487 मध्ये 9.231 है0 भूमि चयनित की गयी है। उक्त भूमि नोन0ज्येड0ए0 खतौनी के श्रेणी 9(3)ड़ में राज्य सरकार के नाम दर्ज है, जिसमें वन पंचायत पुटगांव गठित है व भूमि वन पंचायत पुटगांव के अन्तर्गत है।

अतः उक्तानुसार प्रश्नगत भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए हस्तान्तरित किये जाने बाबत् तहसीलदार धारी की जांच आख्या / प्रस्ताव मय खसरा, खतौनी, नक्शा अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर सेवा में प्रेषित।

संलग्नक :– उक्तानुसार मूल में।

12/09/2016

(राकेश चन्द्र तिवारी)
उपजिलाधिकारी,धारी।

प्रतिलिपि– अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

(राकेश चन्द्र तिवारी)
उपजिलाधिकारी,धारी।

ADM(F)/ 2/AC

जिलाधिकारी
नैनीताल

2

कार्यालय तहसीलदार धारी (नैनीताल)

पत्रांक– 260/र0का0/2016 दि0 10.09.16

विषयः– जनपद नैनीताल में सतोली–कपूडा व जिनौली–तडी–सकदीना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए वन भूमि हस्तान्तरण विषयक।

सेवा में,

उप जिलाधिकारी
धारी,नैनीताल।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अधीशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नैनीताल के कार्यालय पत्र सं0–1729/18एम0जी0 दि0 22.07.16 में आपके पृष्ठांकन आदेश दि0 30.8.16 के अनुपालन में जनपद नैनीताल में 1– सतोली–कपूडा मोटर मार्ग हेतु 5.976हे0 2–जिनौली–तडी–सकदीना तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.255हे0 कुल 9.231 हे0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए भूमि उपलब्ध कराये जाने के लिए निर्देशित किया गया है। उक्त के क्रंम में राजस्व उप निरीक्षक च्यूरीगाड की आख्यानुसार ग्राम पुटगांव पट्टी च्यूरीगाड के नोन0ज्येड0ए0 खाता नं0–30 के खसरा नं0–1799 मध्ये व 2174/3407 मध्ये 9.231हे0 भूमि भूमि चयनित की गयी है। उक्त चयनित भूमि नोन0 ज्येड0ए0 खतौनी के श्रेणी 9(3)ड़ में राज्य सरकार के नाम दर्ज हैं, जिसमें वन पंचायत पुटगांव गठित है चयनित भूमि वन पंचायत पुटगांव के अन्तर्गत है।

प्रस्तावित उक्त चयनित भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित किये जाने के लिए खसरा खतौनी सहित प्रस्ताव सेवा में सादर प्रेषित।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार अभिलेख मूल में।

(नवाजिश खलीक)
तहसीलदार
धारी।

सेवा में,
श्रीमान तहसीलदार महोदय,
तह० थराली.

विषय:- (i) सलोनी-कटूरा मोटर मार्ग (ii) एवं निमोली-तड़ी-सकसोना मोटर मार्ग हेतु प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हांकित भूमि के सम्बन्ध में :-

महोदय,
उपरोक्त विषयक आपके निर्देशानुसार मोटर मार्ग (i) सलोनी-कटूरा एवं (ii) निमोली-तड़ी-सकसोना मोटर मार्ग के निर्माण के लिए प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु राजस्व ग्राम. पुरवाल पट्टी थराली तह० थराली जनपद चमोली के N.Z.A. (नाप) खेत सं० 30 को खसरा नं० 1799 एवं 2174 रकबा 9.231 (3447) हे० भूमि चिन्हांकित की गयी है, पूर्णतया उपरोक्त चयनित भूमि N.Z.A. खतौनी के खाता सं० 30 में राज्य सरकार के नाम श्रेणी 9(3)ज. में दर्ज है.

पूर्णतया उक्त चयनित भूमि वन पंचायत [illegible] के अन्तर्गत नहीं है
रिपोर्ट सेवा में सादर प्रेषित है

संलग्नक: खतौनी, खसरा, नक्शा

पटवारी